न्यायालय श्रीमान् राजस्वमण्डल म०प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा,

जिला रीवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2014

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/—

731 / 28.X.14

R-3913-III/14

गणेश चौधरी पिता बुधई चौधरी, निवासीग्राम खाम्हा, तहसील गुढ, जिला रीवा म०प्र० -------- आवेदक/निगराकार

क्रमांक ______ रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ______ को प्राप्त

विरुद्ध

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

नागेश्वर चौधरी तनय रामनिहोर चौधरी निवासीग्राम खाम्हा, तहसील गुढ, जिला रीवा म०प्र० ------ अनावेदक/गैरनिगराकार

श्री. [illegible] द्वारा आज दिनांक 28.X.14 के प्रस्तुत किया गया।

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3618 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 13-11-14 को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के राजस्व अपील प्रकरण क्र० 920/ अपील/10-11 आदेश दिनांक 21-10-14 जिसके द्वारा आवेदक की अपील निरस्त करदी गई।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहितासन 1959ई०

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैकि आवेदक द्वारा तहसीलदार गुढ के राजस्व प्रकरण क्र०12अ-70/07-08 मेपारित आदेश दि० 15-9-08 के विरुद्ध म०प्र० भूराजस्व संहिता कीधारा 44:1:के तहत

गणेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3913–तीन/2014 जिला रीवा

गणेश चौधरी विरूद्ध नागेश्वर चौधरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–7–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी अअपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 920/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 21–10–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक ने अनावेदक की भूमि कमांक 227/9 पर किसी वाउन्ड्री नहीं बनाई है बल्कि अपने स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 227/1, 227/2 पर मकान बनाकर पुस्तैनी रूप से आवाद है, जिसमें पेड़ पौधे आदि लगे हैं। सीमांकन प्रकरण में एकपक्षीय रूप से अनावेदक ने मनमाने तरीके से जांच प्रतिवेदन अपने पक्ष में करा लिया। तहसीलदार ने दिनांक 20–4–99 को हुये सीमांकन के आधार पर दिनांक 15–9–08 को धारा 250 के तहत वादग्रस्त भूमि के अशंभाग 1400 वर्गफीट से आवेदक को बेदखल करने का त्रुटिपूर्ण आदेश दिया। जबकि आवेदक का आ0नं0 227/1, 227/2 में पूर्वज के समय से मकान बना कर निवास कर रहा है। तहसीलदार के उक्त आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखने में त्रुटि की है। 3/ अनावेदक केवीयेटकर्ता अभिभाषक ने तर्क दिया कि अनावेदक की जमीन पट्टे की जमीन है तथा	

आबादी की जमीन है। आवेदन ने 1400 वर्गफीट पर बेजा कब्जा किये जाने के कारण उनके द्वारा तहसील न्यायालय में धारा 250 का आवेदन प्रस्तुत किया जो खारिज हो गया, फिर उक्त आदेश की अपील अनुविभागीय अधिकारी को करने पर अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया। तहसीलदार ने प्रत्यावर्तित प्रकरण में पुनः जांच की तथा आवेदक के विरूद्ध तहसीलदार ने बेदखली का आदेश पारित किया है। आवेदक को विधिवत सूचना जारी की गई थी। तहसीलदार के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा सही ठहराया गया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा सीमांकन आधार पर अनावेदक की ओर से प्रस्तुत धारा 250 के प्रकरण में आवेदक का विवादित भूमि पर अवैध कब्जा पाया। इसी आधार पर तहसीलदार आवेदक को विवादित अंश भाग से बेदखल करने के आदेश दिये। तहसीलदार के आदेश को दोनों अपीलीय न्यायालय से उचित माना है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होने से निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य